

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14( )2019 / संयुक्त रोड़ / एफसीए / प्रमुवसं /

दिनांक

## वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं वनमण्डल बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में Diversion of 63.6807 ha. forest land in favour of NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA PIU HANUMANGARH for construction of approach road for construction of 4/6 lane road from Choutala in Sirsa district in the state of Haryana to Rasiser in Bikaner district in the state of Rajasthan from CH(-0.300) km to 252.500 km. के निर्माण हेतु 63.6807 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/06/25/2020/एफसी/859 दिनांक 02.09.2020 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अधधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

(श्रुति शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14( )2019 / संयुक्त रोड़ / एफसीए / प्रमुवसं / ~~209-79~~ दिनांक 3.2.2021  
प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई-दिल्ली-110001
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ०प्र०)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
7. उप वन संरक्षक, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर को दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, PIU , 191, कोर्ट रोड़ नियर सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन-335512 को उनके द्वारा इस कार्यालय को कार्यानुमति हेतु सीधे ही सम्बोधित पत्रांक 1088 दिनांक 29.01.2021 के क्रम में।
9. रक्षी पत्रावली।

(वेंकटेश शर्मा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14( )2019/संयुक्त रोड़/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला बाड़मेर, जालौर, जोधपुर एवं वनमण्डल बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में Diversion of 15.8902 Ha Forest Land for Development of Economic Corridors Inter Corridors, Feeder Routes to Improve the Efficiency of Freight movement in India Under Bharatmala Pariyajana (Package-7/LOT4) NH-754K (Design Ch Km (-1.142 to Km 207.100) के निर्माण हेतु 15.8902 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, लखनऊ के पत्रांक 8वी/राज/06/20/2020/एफसी/23 दिनांक 16.10.2020 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्याधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती हैं।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

(श्रुति शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14( )2019/संयुक्त रोड़/एफसीए/प्रमुवसं/281-91 दिनांक 3.2.21  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (एफसी डिवाजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई-दिल्ली-110001
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
7. उप वन संरक्षक, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर को दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, PIU, 188, उम्मेद हेरिटेज, रातानाडा, जोधपुर-342011 को उनके द्वारा इस कार्यालय को कार्यानुमति हेतु सीधे ही सम्बोधित पत्रांक 211 दिनांक 19.01.2021 के क्रम में।
9. रक्षी पत्रावली।

(वेंकटेश शर्मा)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर